न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-417/2020

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

(1) रंजित मंडल, पिता-स्व0 कितानंद मंडल
सा0-स्कूल चौक, वार्ड सं0-04,
थाना-जोगबनी, जिला-अररिया

(2) शशि मंडल, सा0-स्कूल चौक,
वार्ड सं0-04, थाना-जोगबनी, जिला-अररिया ....विपक्षीगण

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
11.01.2021	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1031/हि0शा0, दिनांक 28.05.2020) के आलोक में जोगबनी थाना कांड संख्या-101/2020, दिनांक-24.04.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त 02(दो) पुरानी साईकिल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58 के अंतर्गत राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। विपक्षी को जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत की गई। सूचना प्राप्ति के बावजूद विपक्षियों की ओर से कोई पैरवी नहीं है। पुकार पर भी विपक्षीगण अनुपस्थित। स्पष्ट है कि विपक्षियों को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। विपक्षी को अंतिम मौका दिया जा चुका है। (2) विपक्षियों/साईकिल मालिक की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1031/हि0शा0, दिनांक- 28.05.2020) तथा अभिलेख के साथ संलग्न अन्य कागजातों का अवलोकन किया। (3) विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि श्री अजय कुमार, सरपंच, ग्राम पंचायत राज अमौना दिनांक- 24.04.2020 को प्रातः 9.00 बजे आवश्यक कार्य से मीरगंज स्थित शिव मंदिर के पास आये हुए थे। वहाँ उपस्थित एक-दो ग्रामीणों से वे बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि विपक्षीगण दो साईकिल पर साईकिल की हेंडल में एक-एक झोला टांग कर मीरगंज मंदिर के नजदीक से जा रहा है। विपक्षीगण को रोका गया। पूछने पर विपक्षीगण द्वारा डरते-डरते बताया गया कि दोनों झोला में कुल-चार, पाँच लीटर के गैलन में तथा एक लीटर के बोतल में देशी शराब है। श्री अजय कुमार, सरपंच द्वारा वहाँ उपस्थित दो ग्रामीणों की मदद से रंजित मंडल एवं शशि मंडल को वहाँ रोका गया थानाध्यक्ष, जोगबनी थाना को इसकी सूचना दी गई। कुछ देर बाद पुलिस गाड़ी को देखते ही दोनों लड़के, जिन्हें रोका गया था, भागने लगे। पुलिस गाड़ी का मीरगंज शिव मंदिर के निकट पहुँचने पर दोनों काफी दूर भाग गये थे। पुलिस पदाधिकारी को दो साईकिल तथा दो झोला में रखा हुआ कुल-चार, पाँच लीटर के गैलन और एक लीटर के बोतल में रखा कुल-21 लीटर देशी शराब सुपुर्द किया गया। बरामद दोनों साईकिल तथा पाँच लीटर के कुल-चार गैलन और एक लीटर के बोतल में रखे कुल-21 लीटर देशी शराब को मो0 साबिर, पिता-मो0 निजाम, सा0-मीरगंज, वार्ड सं0-08, 2. मो0 मोजीब, पिता-मो0 ईस्लाम, सा0-मीरगंज, वार्ड सं0-05, थाना-जोगबनी, जिला-अररिया के समक्ष सहायक अवर निरीक्षक, जोगबनी थाना द्वारा विधिवत् जब्त किया गया। उनकी प्रार्थना है कि जब्त साईकिल का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य से शराब को ढ़ोने में किया गया है। जब्त साईकिल को राजसात किया जाय। (4) विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों पर सम्यक् विचार तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 1031/हि0शा0, दिनांक 28.05.2020) एवं संलग्न अन्य कागजातों के अवलोकन से इस न्यायालय को यह समाधान हो गया है कि जोगबनी थाना कांड संख्या-101/20, दिनांक-24.04.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 में बरामद कुल-21 लीटर देशी शराब एवं दोनों पुरानी साईकिल को	

अधिहरण वाद संख्या-417/2020

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
11.01.2021	सहायक अवर निरीक्षक, जोगबनी थाना द्वारा विधिवत् जब्त किया गया। जब्त दोनों पुरानी साईकिल का उपयोग कुल-21 लीटर देशी शराब को व्यावसायिक उद्देश्य से ढ़ोने में किया गया है। जब्त दोनों साईकिल का कोई दावेदार इस न्यायालय में अपना दावा नहीं किया है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन) अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत जब्त दोनों पुरानी साईकिल राजसात होने योग्य है। तदनुसार जोगबनी थाना कांड संख्या-101/2020, दिनांक-24.04.2020, धारा-30(क) बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 में जब्त दोनों पुरानी साईकिल को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत **राजसात(Confiscate)** किया जाता है। अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को निदेश दिया जाता है कि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 (यथासंशोधित अधिनियम, 2018) के सुसंगत प्रावधानों के अनुरूप अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु उत्पाद मद्यनिषेध, अररिया तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया को प्रेषित करें। विपक्षी (साईकिल मालिक) यदि चाहें तो उक्त आदेश के विरूद्ध बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-92(2) के अंतर्गत उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना के न्यायालय में पारित आदेश के 90 दिनों के भीतर अपील दाखिल कर सकते हैं। उक्त आदेश/निदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित समाहर्त्ता, अररिया समाहर्त्ता, अररिया ज्ञापांक 196/विधि, अररिया, दिनांक 19.01.2021. प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : अधीक्षक मद्यनिषेध, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित। समाहर्त्ता, अररिया	